

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/एसीपी 2018/2019/ दिनांक.-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 14(1) एफ डी. (नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एव वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एव 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्होंने राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उसके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी (चयनित वेतनमान) स्वीकृत की जाती है.-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	राज्य सेवा/सर्वग में नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवा अवधि मय दिनांक	वर्तमान में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल	सेवावधि 27 वर्ष पूर्ण करने पर देय पे-ग्रेड/लेवल संख्या
1	श्रीमती मेरसी मैथ्यू पीबीएम एवं सबद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	25.07.1963	22.04.1991	27 वर्ष 22.04.2018	L-11	L-12
2	श्रीमती सुमन कुमारी जांगिड, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर	08.04.1968	14.05.1991	27 वर्ष 14.05.2018	L-11	L-12
3	श्रीमती इन्द्रा नायर, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सबद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	11.08.1965	26.08.1991	27 वर्ष 26.08.2018	L-11	L-12

नोट:-दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नही होने की शर्त पर ही उक्त ए.सी.पी./चयनित वेतनमान देय होगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. ई-20/म0स्वा0कार्य0/एसीपी 2018/2019/ 519

दिनांक - 12/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एव सबद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।
- 2 अधीक्षक, पीबीएम एवं संबद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।
- 3 उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर।
- 4 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 सम्बन्धित कार्मिकाओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर